

## प्रेस विज्ञप्ति

### जनपद बस्ती

दिनांक-31.08.2025

थाना कप्तानगंज पुलिस व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में अंतर्जनपदीय 06 डकैतों को घटना में प्रयोग की जाने वाली टोयोटा इनोवा कार, तीन अदद अवैध शस्त्रों, आठ अदद कारतूस व घटना कारित करने में प्रयोग किए जाने वाले औजार के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना कप्तानगंज पुलिस व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा महाराजगंज में सराफा व्यवसायी के यहां गैंग बनाकर शातिर अपराधियों द्वारा अवैध असलहे के साथ डकैती डालने के प्रयास के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0-155/2025 धारा-310(4) BNS व 3/25 Arms Act से संबंधित **वांछित 06 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-** विनोद कुमार वर्मा पुत्र स्व रामबदल वर्मा **2-** अभय पाण्डेय पुत्र जगतनरायन पाण्डेय **3-** नवीन पाण्डेय पुत्र पुत्र रामप्रकाश पाण्डेय **4-** राधेश्याम पुत्र कन्हैया विश्वकर्मा **5-** विशाल दूबे पुत्र राजेश दूबे **6-** अवनीश यादव उर्फ अम्बानी पुत्र शिवबहादुर यादव को दिनांक-31.08.2025 को समय करीब 02:10 बजे ग्राम पिकौरा सानी में सनी देवल के ट्यूबल के पास से गिरफ्तार कर **उनके कब्जे से 1-** एक अदद टोयोटा इनोवा कार, **2-** एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, **3-** एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, **4-** एक अदद पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन व पांच अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, **5-** एक अदद बैग मय दो अदद पिलास, तीन अदद पेचकस, तीन अदद छिन्नी, एक अदद हथोड़ा, एक अदद लोहा काटने की आरी, एक चाभी का गुच्छा, **6-** एक अदद सब्बल, आठ अदद कटा हुआ छोटा-बड़ा साइज का सरिया, **7-** एक अदद टैब, पांच अदद एण्ड्रायड मोबाइल बरामद कर अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1-** विनोद कुमार वर्मा पुत्र स्व रामबदल वर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी बड़हरकला थाना हरैया जनपद बस्ती |
- 2-** अभय पाण्डेय पुत्र जगतनरायन पाण्डेय उम्र 23 वर्ष निवासी बड़हरकला थाना हरैया जनपद बस्ती |
- 3-** नवीन पाण्डेय पुत्र पुत्र रामप्रकाश पाण्डेय उम्र 22 वर्ष निवासी बड़हरकला थाना हरैया जनपद बस्ती |
- 4-** राधेश्याम पुत्र कन्हैया विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम शम्भूपुर थाना हरैया जनपद बस्ती |
- 5-** विशाल दूबे पुत्र राजेश दूबे उम्र 20 वर्ष निवास दूबे का पुरवा थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या (उ0प्र0)|
- 6-** अवनीश यादव उर्फ अम्बानी पुत्र शिवबहादुर यादव उम्र 22 वर्ष निवासी तुलापुर सरौली थाना खंडासा जनपद अयोध्या (उ0प्र0)|

#### बरामदगी का विवरण-

- 1-** एक अदद टोयोटा इनोवा कार |
- 2-** एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर |
- 3-** एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर |
- 4-** एक अदद पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन व पांच अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर |

- 5- एक अदद बैग मय दो अदद पिलास, तीन अदद पेचकस, तीन अदद छिन्नी, एक अदद हथोड़ा, एक अदद लोहा काटने की आरी, एक चाभी का गुच्छा |
- 6- एक अदद सब्बल, आठ अदद कटा हुआ छोटा-बड़ा साइज का सरिया |
- 7- एक अदद टैब, पांच अदद एण्ड्रायड मोबाइल |

### घटना का संछिप्त विवरण-

दिनांक-28.08.2025 को थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा व्यवसायी के यहां गैंग बनाकर शांतिर अपराधियों द्वारा अवैध असलहे के साथ डकैती डालने के प्रयास के दौरान एक अपराधी प्रिंस तिवारी पुत्र राजकुमार तिवारी उम्र 22 वर्ष निवासी इनायत नगर थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या (उ0प्र0) को जनता के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया था जिसके पास से एक अदद तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व तरल पदार्थ से सना व तीक्ष्ण गंध निकलता हुआ एक रूमाल को बरामद कर मु0अ0सं0-155/2025 धारा-310(4) BNS व 3/25 Arms Act पंजीकृत कर विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के क्रम में मुखबीर खास की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत महाराजगंज कस्बे में सर्राफा की दुकान में पुनः डकैती की घटना कारित करने हेतु योजना बनाने के दौरान संबंधित अभियुक्तों यथा क्रमशः 1- विनोद कुमार वर्मा पुत्र स्व रामबदल वर्मा 2- अभय पाण्डेय पुत्र जगतनारायन पाण्डेय 3- नवीन पाण्डेय पुत्र पुत्र रामप्रकाश पाण्डेय 4- राधेश्याम पुत्र कन्हैया विश्वकर्मा 5- विशाल दूबे पुत्र राजेश दूबे 6- अवनीश यादव उर्फ अम्बानी पुत्र शिवबहादुर यादव को दिनांक- 31.08.2025 को समय करीब 02:10 बजे ग्राम पिकौरा सानी में सनी देवल के ट्यूबल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1- एक अदद टोयोटा इनोवा कार, 2- एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 3- एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 4- एक अदद पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन व पांच अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर, 5- एक अदद बैग मय दो अदद पिलास, तीन अदद पेचकस, तीन अदद छिन्नी, एक अदद हथोड़ा, एक अदद लोहा काटने की आरी, एक चाभी का गुच्छा, 6- एक अदद सब्बल, आठ अदद कटा हुआ छोटा-बड़ा साइज का सरिया, 7- एक अदद टैब, पांच अदद एण्ड्रायड मोबाइल बरामद कर अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है |

### पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि गैंग लीडर 1-विनोद कुमार वर्मा द्वारा रुपये-पैसे व वैभवशाली जीवन का लालच देकर नये लड़कों को अपराध की दुनिया में शामिल करता है जिसका अपराधिक इतिहास भी है | हम लोग रूमाल में नशीली दवा लगाकर लोगों को बेहोश कर लूट-पाट करते हैं एवं जरूरत पड़ने पर अवैध असलहे से फायर भी कर देते हैं | दिनांक-28.08.2025 को हम लोग घटना करने हेतु अपने टीम के सदस्यों के साथ आये थे | गैंग लीडर 1-विनोद द्वारा बताया गया कि 4-राधेश्याम जो सर्राफा व्यवसायी के यहाँ कार्य करता था और वहाँ आता-जाता रहता था जिसने मुझे सूचना दिया था कि वह काफी मालदार व्यक्ति हैं जिसे अगर लूट लिया जाए तो बहुत पैसे मिलेंगे, जिसके लिए मैं आपको प्लानिंग कर आने-जाने की सूचनाओं का आदान-प्रदान कर गैंग बनाकर डकैती कर लिया जाएगा, जिसके लिए उस दिन डकैती के उद्देश्य से हम लोग इकट्ठे हुए थे किन्तु एक साथी के पकड़े जाने की वजह से असफल हो गये, जहां पुनः उसी घटना को अंजाम देने आये थे किन्तु आप लोगों द्वारा पकड़ लिए गए |

## गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष कप्तानगंज आलोक कुमार श्रीवास्तव जनपद बस्ती |
- 2- प्रभारी स्वाट उ0नि0 संतोष कुमार गौड़ जनपद बस्ती |
- 3- प्रभारी चौकी दुबौला उ0नि0 राकेश मिश्र, प्रभारी चौकी महाराजगंज उ0नि0 वीरेंद्र कुमार थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |
- 4- आरक्षी काशी कुमार, आरक्षी श्यामजीत यादव, आरक्षी गोविंद यादव, आरक्षी यशवंत यादव, आरक्षी सत्येंद्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |
- 5- मु0आ0 अवनीश सिंह, मु0आ0 पवन तिवारी, आरक्षी सुभेन्द्र तिवारी, आरक्षी अभिलाष प्रताप सिंह, आरक्षी किशन सिंह स्वाट टीम जनपद बस्ती |

